19/00158

संख्या 10

30.7.10 28.8.19

जोशी स्टेशनर्स, मांडलगढ़ फो॰ 230289

स्टेज 19.9.19
ता. पेशी

26.12
23.2

राजस्थान सरकार

5.2
2.12.20

...रल कहम सिविल ... फार्म नम्बर 8 के

...लय उपखण्ड अधि... ...ला-भीलवाड़ा (राज.)

27.1.21
7.4.21
19.1.22
30.11.22
8.2.23
8.6.23
15.6.23
22.6.23

मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला क्रमांक 5
धारा 88 RLR	26/2019	02/05/2019		

अनवान

अनु.पुरी उर्फ पन्नूलाल पुत्र भैरुपुरी ------ सरकार

V/s

बनाम

मो०-- खुजपूरा ------

विवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

गिरधारीलाल आचार्य

विकीवार

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

V/s सरकार

रेस्पाडेन्ट / बवयुनाय

श्री ------

G.L.A.

Scanned with OKEN Scanner

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम हुक्म की तामील में जारी हुए
5/19	[illegible] हैं बाद [illegible] पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वकील [illegible] प्रार्थना पत्र 80(2) CPC [illegible] स्वीकार किया जाता है प्रतिवादी को नोटिस जारी हो [illegible] दिनांक 16-5-19 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
16/5/19	वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी के समन बाद तामील प्राप्त नहीं समन जारी होकर पत्रावली दिनांक 10-7-19 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
10/7/19	वकील वादी व प्रतिवादी हाजिर। जवाब हेतु समय चाहते हैं अतः जवाब दिनांक 30-7-19 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
30/7/19	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. का दौरा पत्र[illegible]। पत्रावली दिनांक 28/8/19 को वास्ते जवाब पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी	
28/8/19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व प्रतिवादी हाजिर। जवाब हेतु समय चाहते हैं वास्ते जवाब दिनांक 19/9/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
19/9/19	पत्रावली पेश [illegible] दिनांक 21-10-19 [illegible] जवाब पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी	

0219016

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
8/2/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते सा. प्रति. 21/2/23 को पेश हो। [signature]	
21/2/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा दौरे पर है। प्रत्रावली दिनांक 14/3/23 को वास्ते सा. प्र. पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी	
14/3/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा दौरे पर है। प्रत्रावली दिनांक 18/4/23 को वास्ते सा. प्र. पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी	
18/4/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। प्रत्रावली दिनांक 23/5/23 को वास्ते सा. प्रति. पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी	
23/5/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। प्रत्रावली दिनांक 30/5/23 को वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी	
30/5/23	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी मे पैरोकार सरकार का जवाब एवं रिपोर्ट पटवारी (फोटो प्रतिलिपि जो कि तहसीलदार से प्रमाणित है) पूर्व मे प्रस्तुत की गई, जो शामिल पत्रावली है। अतः साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 08/06/2023 को पेश हो। [signature]	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/6/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रकरण में संलग्न रिपोर्ट पटवारी दिनांक 8/5/19 के संबंध मे सम्बन्धित पटवारी के बयान लेना आवश्यक है। अतः पत्रावली वास्ते बयान पटवारी के दिनांक 15/6/2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
15/6/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। बयान हेतु तत्कालिन पटवारी दुर्गेश वैष्णव उपस्थित। तत्कालिन पटवारी सुखपुरा एवं हाल भू. अ. नि. बिजौलिया के बयान लिये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक 22/06/2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
22/6/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली पर बहस सुनी गई। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखवाया गया। एवं खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्रीमती सीमा तिवाड़ी आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 26/2019 दायर तारीख 02/05/2019

अनवान

प्रभुपुरी उर्फ प्रभुलाल पुत्र भैरूपुरी जाति गुसाईं उम्र बालिग व्यवसाय कृषि निवासी सुखपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) ....वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)। ....प्रतिवादी

उपस्थित :– 01 श्री गिरधारीलाल आचार्य– अधिवक्ता वादी
02 पैरोकार सरकार

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0टि0एक्ट

–: निर्णय :–

दिनांक : 22/06/2023

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध प्रतिवादी इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी को जरिये आवंटन पत्रावली क्रमांक 389/1983 से मौजा सुखपुरा स्थित बिलानाम राजकीय भूमि खसरा न0 227 में से रकबा 6 बीघा का आवंटन दिनांक 04.01.1983 को किया गया। वादी द्वारा अपने आवेदन पत्र में आवेदनकर्ता आवंटी का नाम प्रभूपुरी पुत्र भैरुपुरी गुसाई लिखा जाकर वादी ने अपने हस्ताक्षर प्रभुलाल किये। वास्तव में वादी को ही भूमि का आवंटन हुआ है। वादी को आवंटन के पश्चात् आवंटन आदेश की पालना में आवंटित भूमि की सिपूर्दगी की गयी। कब्जा प्राप्ति दिनांक 30.01.1983 से ही वादी उसे आवंटित हुयी भूमि पर काबिज है। सिपूर्दगीनामे व आवेदन पर वादी के ही हस्ताक्षर है। आवंटन आदेश की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत होने के पश्चात् वादी के नाम पर आवंटन आदेश की राजस्व रेकॉर्ड मे इन्द्राज बाबत् नामान्तरकरण संख्या 119 दिनांक 19.04.1983 को खोला गया जिसमें सेवन से प्रभूपुरी पिता भैरूपुरी गुसाई के स्थान पर पटवारी हल्का सुखपुरा ने प्रेमपुरी पिता भैरूपुरी गुसाई के नाम से नामान्तरकरण संख्या 119 के कॉलम न0 11 में प्रविष्टी कर दी गयी। जबकि नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 11 में प्रभूपुरी उर्फ प्रभुलाल पिता भैरूपुरी गुसाई भरा जाना चाहिये था। इस कारण वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में नामान्तरकरण में वादी के नाम की त्रुटी के कारण जमाबन्दी में खसरा न0 227/1 रकबा 6 बीघा का खातेदार प्रेमपुरी पिता भैरूपुरी गुसाई दर्ज अभिलेख चला आ रहा हैं। वादी ही भैरूपुरी का पुत्र है। भैरूपुरी जी के प्रेमपुरी नाम का कोई भी पुत्र नही है। वादी को ही भूमि का आवंटन हुआ है। उसी का भूमि पर कब्जा है। अन्य राजकीय दस्तावेजों में वादी भैरूपुरी के पुत्र के रूप में अपनी पहचान रखता है।

वादी ने अनुतोष चाहा की मौजा सुखपुरा स्थित खसरा न0 227/1 रकबा 6 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी के घोषित फरमाते हुये प्रेमपुरी के स्थान पर प्रभूपुरी दर्ज अभिलेख किया जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गयी।

प्रतिवादी पैरोकार सरकार होने से तहसीलदार बिजौलियां ने दिनांक 05.02.2020 से जवाब प्रस्तुत किया जिसे शामील पत्रावली किया गया। पैराकार सरकार ने जवाब में अंकित किया कि वादपत्र की चरण संख्या 1 रेकॉर्ड से सम्बन्धित हैं। वादपत्र की चरण संख्या 2 स्वयं सिद्ध करें। वादपत्र की चरण संख्या 3 से लगायत 6, 8, 9 कानूनी होना बताया। वादपत्र की चरण संख्या 7 न्यायालय से सम्बन्धित होना बताया तथा वादी का वाद नियमानुसार निस्तारित करने पर कोई आपत्ति नहीं होना बताया।

वादी ने वादपत्र के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये।

1. प्रमाणित प्रति आवंटन पत्रावली पेश की जो प्रदर्श –1 हैं।
2. प्रार्थना पत्र शुद्धिकरण हेतु पेश किया जो प्रदर्श –2 हैं।
3. प्रतिलिपि नकल जमाबन्दी संवत् 2072–2075 की पेश की जो प्रदर्श –3 हैं।
4. नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श –4 हैं।
5. रिपोर्ट पटवारी हल्का की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श –5 हैं।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

प्रतिवादी की ओर से अन्य किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नही हुयें।

वादपत्र और जवाब के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गयी।

01. आया वादी को ही मौजा सुखपुरा की आ0न0 227 में रकबा 6 बीघा का आवंटन हुआ किन्तु राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज बाबत जो नामान्तकरण खोला गया उसमें सेवन से प्रभुपुरी पुत्र भेरूपुरी गुसाई के स्थान पर प्रेमपुरी पुत्र भेरूपुरी का इन्द्राज कर दिया गया।

..........जिम्मे वादी

02. आया कि अनुतोष क्या होगा ?

साक्ष्य वादी में प्रभूपुरी उर्फ प्रभुलाल पुत्र भैरूपुरी गुसाई नि0 सुखपुरा ने शपथ पत्र पेश किया जो प्रदर्श– 1 हैं। गोविन्द पिता मोहन धाकड़ निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा के बयान लिये गये जो प्रदर्श– 2 हैं। भवाना पिता सांवरा भील निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा के बयान लिये गये जो प्रदर्श– 3 हैं। शामिल पत्रावली हैं।

गोविन्द पिता मोहन धाकड़ ने बयान किया कि प्रभुपूरी को जो 6 बीघा जमीन आवंटन हुयी वह सुखपुरा में स्थित हैं एवं सुखपुरा में प्रेमपुरी पुत्र भैरूपुरी गुसाई नाम का कोई व्यक्ति नहीं हैं। एवं प्रेम पुरी पुत्र भैरूपुरी गुसाई नाम का कोई बाहरी व्यक्ति भी नहीं हैं। जिसकी ग्राम सुखपुरा में जमीन हैं। भवाना पिता सांवरा भील निवासी सुखपुरा ने भी अपने बयान में उक्त कथनों को दोहराया हैं

साक्ष्य प्रतिवादी में तत्कालीन पटवारी सुखपुरा हाल भू.अ.नि. बिजौलियां कलां के बयान लिए गए जो शामिल पत्रावली हैं। तत्कालीन पटवारी ने बयान किया कि मैने जो रिपोर्ट तैयार की वह राजस्व रेकॉर्ड एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/आवंटन पत्रावली के फोटोप्रति के आधार पर तैयार की गई।

वादी अधिवक्ता ने वादपत्र में अंकित तथ्यो का विस्तार से जिक्र किया, वादी ने साक्ष्य स्वरूप दस्तावेजात, शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की हैं। वादी के वादपत्र को डिक्री फरमायी जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया विद्वान अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। पैराकार सरकार की रिपोर्ट का अध्ययन किया।

पत्रावली में पैरोकार सरकार तहसीलदार बिजौलियां की रिपोर्ट के अनुसार एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, बयान गवाह एवं वादी स्वयं के शपथ पत्र के आधार पर वादी को मौजा सुखपुरा स्थित खसरा न0 227/1 रकबा 6 बीघा का खातेदार काश्तकार प्रेमपुरी के स्थान पर प्रभूपुरी घोषित किये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के घोषित फरमाते हुये प्रेमपुरी के स्थान पर प्रभूपुरी दर्ज अभिलेख किये जाने योग्य हैं।

–: आदेश :–

अतः प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत **धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम डिक्री** किया जाकर मौजा सुखपुरा स्थित खसरा न0 227/1 रकबा 6 बीघा का खातेदार काश्तकार प्रेमपुरी के स्थान पर प्रभूपुरी पुत्र भैरूपुरी जाति गुसाई उम्र बालिग व्यवसाय कृषि निवासी सुखपुरा राजस्व अभिलेखो में अभिलिखित किये जाने का आदेश दिया जाता है। डिक्री मुर्तिक हो।

निर्णय आज दिनांक 22/06/2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्रीमती सीमा तिवाड़ी आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 26/2019 दायर तारीख 02/05/2019

अनवान

प्रभुपुरी उर्फ प्रभुलाल पुत्र भैरूपुरी जाति गुसाई उम्र बालिग व्यवसाय कृषि निवासी सुखपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0) ....वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)। ....प्रतिवादी

उपस्थित :- 01 श्री गिरधारीलाल आचार्य- अधिवक्ता वादी
02 पैरोकार सरकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 22/06/2023
डिक्री दिनांक : 22/06/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियॉं बहाजरी अधिवक्ता वादी श्री गिरधारीलाल आचार्य व पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वाद पत्र वादी अन्तर्गत **धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** डिक्री किया जाकर मौजा सुखपुरा स्थित खसरा न0 227/1 रकबा 6 बीघा का खातेदार काश्तकार प्रेमपुरी के स्थान पर प्रभूपुरी पुत्र भैरूपुरी जाति गुसाई उम्र बालिग व्यवसाय कृषि निवासी सुखपुरा के नाम राजस्व अभिलेखो में अभिलिखित किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करेगें।

नीज ....Nil.......................मुबलिग .... Nil ....
बाबत ...... Nil ....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....
फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....
का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 06 वर्ष 2023 को जारी किया गया।

(हस्ताक्षर)
(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
स्टाम्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महनताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
बाबत इजराय हुक्मनामा	–		बाबत इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान		

(मुहर) उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

(हस्ताक्षर)
(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

Scanned with OKEN Scanner